**EDITORIAL**

# Pension now safe and secured

Sequel to the decision of NDA Govt. in year 2000 to Corporatarise the Telecom Services the three federations NFTE, FNTO and BTEF organized struggle and secured guarantees of Govt. pension, job security for employees as well as financial viability of the PSU. Doubts were then raised from certain quarters about Govt. pension but NFTE prevailed upon resulting in no less than the Member (Finance), Sri A. Prasad, of Telecom. Commission issued letter No. 7-1/2000/TA-1/17 dated 26.06.2001 stating that the pension of absorbed employees will be paid from the consolidated fund of India. The Ministry of Finance in 2003-04 demanded full cost of pension from BSNL forcing the NFTE to launch another struggle in mid 2004 and comrades late Jagan and Vichare and Com. Kohli commenced their indefinite fast at Eastern Court, New Delhi demanding that the Govt. should honour its commitments including pension. Comrade Gupta, the then Secy. General held dialogue with the then Secretary, DoT (Shri Nripendra Mishra) and Chief Labour Commissioner. The Director (HR), Shri S.K. Jain has to come to the venue of fast and declared in writing on behalf of DoT that the matter will be sent to cabinet for settlement as there is dispute between DoT and MoF on payment of pension. The leaders of a particular union at the time had called the struggle of "Indefinite fast" as drama and have often said pension is tension of Com. O.P. Gupta and of NFTE. After passage of some period the DoT issued letter No. 1-45/2003-B dated 15.03.2005 reaffirming that the pension payment is liability of Govt. and BSNL will pay only contributions as per FR 116. However, within a span of one year the DoT in 2006 reversed its earlier decisions of 2000 and 2005 and vide No. 1-45/2003-B dated 15.06.2006 linked the payment of pension with the tax receipts of BSNL and MTNL and also introduced 60:40 ratio. The NFTE although was then un-recognised but even then raised strong voice against this as future of employees was not only made uncertain but Govt. Was virtually running away from its earlier assurances and commitments in respect of pension. The linking of pension payment with tax receipts (License fee, Dividend etc.) from BSNL-MTNL was against Govt.'s commitments. The NFTE continued to make representations to Hon'ble Ministers of Communications, Secretary DoT, CMD and others in BSNL urging that the Govt. should honour its obligations and commitments made at the time of Corporatarisation. We were of firm view that DoT's letter 15.06.2006 is pernicious and it became reality when MoF replied to DoT that pension payment expenditure has crossed 60% of receipts of taxes from BSNL and MTNL and recorded its disagreement for pension revision of pre 10.6.2013 retirees. Thus a grim picture developed on the issue. NFTE obtained full text of Cabinet Note which was sent to the Govt. for pension revision of pre-2007 retirees after 2nd wage revision. The Cabinet note also contained 60:40 ratio prescribed in DoT in letter No. 1-45/2003-B dated 15.06.2006. This was alarming picture of future (Pension).

The NFTE then decided and sent a very exhaustive and detailed representation to Hon'ble Prime Minister on 08.01.2016 and thankfully the PMO promptly responded and directed DoT to sort out the issues raised by the NFTE. The NFTE in its petition dated 08.01.2016 had submitted cogent reasons and urged that the present NDA Govt. should honour its past commitments and pension be paid by Govt. and contribution be realized from BSNL only as per FR-116. The pension of pre 10.06.2013 retirees be revised and 78.2% IDA fixation benefit be extended to them. The Cabinet on 05.07.2016 has decided the issues exactly as referred and acceded to the demands made by us. The DoT after cabinet decision of 05.07.2016 has issued orders vide No. 40-13/20 13-Pen (T) dated 18.07.2016 for pension revision as well as has withdrawn the 60:40 ratio vide No.40-13/2013-pen (T) dated 20.07.2016 for which NFTE struggled hard from 2006 onward. What we lost in year 2006 same stands nullified and pension reguaranteed. The future of employees is thus now safe and secured as Govt. has re-guaranteed to pay the pension. NFTE true to its commitments has made sincere and sustained efforts to achieve this. This is great achievement but we don't believe in marketing as the employees cannot be befooled. They are well aware of NFTE's commitments. Those who claim for this achievement should show their role from 2006 onward when 60:40 ratio was introduced and pension payment made uncertain.

संपादकीय

# पेंशन सुरक्षित

वर्ष 2000 में एनडीए सरकार ने दूरसंचार सेवाओं के निगमीकरण करने का निर्णय लिया। इस निर्णय के पश्चात् एनएफटीई, एनएफटीओ, तथा बीटीईएफ महासंघों ने तीन दिनों की ऐतिहासिक हड़ताल संगठित करके सरकार के कर्मचारियों हेतु सरकारी पेंशन, नौकरी की सुरक्षा तथा बीएसएनएल की आर्थिक जीवन क्षमता की गारंटी प्राप्त की। उस समय सरकारी पेंशन की गारंटी पर कुछ लोगों ने शंका व्यक्त की। एनएफटीई के प्रयास, प्रयत्न तथा प्रतिवेदन के फलस्वरूप तत्कालीन सदस्य (वित्त) श्री ए.प्रसाद, पत्र संख्या 7–1/2000/टीए–1/7 दिनांक 26.06.2001 द्वारा स्थिति को स्पष्ट किया कि बीएसएनएल में सम्मिलित कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान कंसालिटेडेट फंड से होगा। वर्ष 2003–04 में वित्त मंत्रालय बीएसएनएल से पेंशन खर्च की सम्पूर्ण राशि भुगतान की मांग की। इसके विरूद्ध एनएफटीई ने पुनः संघर्ष का मार्ग अपनाया। दिवंगत साथी जगन, विचारे तथा साथी कोहली ईस्टर्न कोट, नई दिल्ली में वर्ष 2004 में आमरण अनशन प्रारम्भ किया। संघ की मांग थी कि सरकार अपने वादों का निर्वाह करें। साथी गुप्ता, तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल एनएफटीई ने सचिव, डीओटी तथा चीफ लेबर कमिश्नर से चर्चाएं की। उस समय बीएसएनएल के निदेशक (कार्मिक) श्री एस.के.जैन स्वयं भूख हड़ताल के स्थान पर आकर सैकड़ों कर्मचारियों की उपस्थिति में घोषणा किया कि पेंशन मुद्दे पर वित्त मंत्रालय से डीओटी का मतभेद है तथा इस विवाद के समाधान हेतु मामला कैबिनेट को जाएगा। कुछ समय के उपरान्त डीओटी पत्र संख्या 1–45/2003–बी दिनांक 15.03.2005 द्वारा आदेश जारी किया कि पेंशन भुगतान की जिम्मेदारी सरकार की है तथा बीएसएनएल केवल एफआर 116 के अनुसार सरकार को पेंशन योगदान का भुगतान करेगा। वर्ष 2004 के संघर्ष को एक विशेष संघ ने नाटक करार दिया था। उनका यह भी कहना था कि पेंशन साथी गुप्ता तथा एनएफटीई की चिंता है। परंतु एक वर्ष के पश्चात् डीओटी पुनः पत्र संख्या 1–45/2003–बी दिनांक 15.06.2006 द्वारा पूर्व के आदेश को परिवर्तित कर दिया तथा पेंशन भुगतान को बीएसएनएल – एमटीएनएल से प्राप्त टैक्सों से संबंधित कर दिया तथा 60:40 का अनुपात भी निर्धारित किया। एनएफटीई उस समय मान्यता में नहीं थी परन्तु निर्णाय के विरूद्ध तीव्रता से आवाज उठाई क्योंकि निर्णय कर्मचारियों के भविष्य को अनिश्चित कर दिया था। एनएफटीई ने संचार मंत्री, सचिव डीओटी तथा सीएमडी तथा बीएसएनएल के अन्य अधिकारियों को अनेक प्रतिवेदन भेजे तथा स्पष्ट रूप से डीओटी के 15.06.2006 द्वारा पूर्व के आदेश की वापसी का अनुरोध किया क्योंकि उपर्युक्त आदेश खतरानाक था तथा भविष्य में पेंशन भुगतान में जटिलताएं उत्पन्न करने वाला था। यह सत्य समय समक्ष आया जब पेंशनरों को 78.2प्रतिशत आईडीए का लाभ प्रदान हेतु डीओटी ने प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय को भेजा। वित्त मंत्रालय ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा स्पष्ट किया कि पेंशन भुगतान 60प्रतिशत की निर्धारित सीमा के अधिक हो गया है। इस प्रकार अत्यंत विषम परिस्थिति उत्पन्न थी।

ऐसे परिस्थिति में एनएफटीई में माननीय प्रधानमंत्री को 08.01.2016 को एक विस्तृत तथा बृहत प्रतिवेदन भेजा। पीएमओ से संघ को शीघ्र उत्तर प्राप्त हुआ तथा डीओटी को निर्देश भी दिया गया कि उठाए गए मुद्दों का शीघ्रता से समाधान हो। एनएफटीई ने प्रतिवेदन में अनुरोध किया था कि सरकार पूर्व एनडीए सरकार के पेंशन निर्णयाओं का सम्मान करना चाहिए तथा पेंशन भुगतान सरकार करे एवं पेंशन अंशदान केवल एफआर 116 के द्वारा बीएसएनएल से लिया जाय। साथ ही साथ 10.6.2013 के पूर्व के सेवानिवृत कर्मचारियों को 78.2प्रतिशत आईडीए लाभ देकर पेंशन संशोधन हो। दिनांक 05.07.2016 को कैबिनेट ने संघ द्वारा उठाए गए मुद्दों को स्वीकार करते हुए सकारात्मक निर्णय लिया। डीओटी ने कैबिनेट के निर्णायानुसार पत्र संख्सा 40–13/2013–पेन (टी) दिनांक 20.07.2016 जारी करके 60:40 अनुपात की समाप्ति की इसके लिए एनएफटीई ने निरंतर प्रयास तथा संघर्ष किया। डीओटी ने पत्र संख्या 40–13/2013–पेन (टी) दिनांक 18.07.2016 द्वारा पेंशन संशोधन के भी आदेश जारी किए। वर्ष 2006 में पेंशन भुगतान की गारंटी सरकार ने वापस ले ली थी जिसकी 2016 में पुनर्स्थापन (तमेजवतंजपवद) हुई है। कर्मचारियों का पेंशन इस समय सुरक्षित है क्योंकि सरकार ने भुगतान की गारंटी अब ले ली है। एनएफटीई ने अपनी परिपाटी के अनुसार जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। एक विशेष संघ इसे अपनी उपलब्धि बताकर जश्न मनवा रहे हैं। कर्मचारियों को भलीभांति जानकारी होनी चाहिए कि वर्ष 2006 से इस प्रकरण में जश्न मनाने वालों की क्या भूमिका रही है। मान्यता नहीं होने पर भी एनएफटीई मुद्दे पर निरंतर आवाज उठाती रही है इस कारण महत्वपूर्ण मुद्दे के समाधान में हम सफल हुए हैं।